"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 725] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2025 — भाद्र 26, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक LAND/1300/2025-HOUSING.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत खरसिया विकास योजना 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :–

खरसिया विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	खरसिया विकास योजना 2031 अनुसार भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23–क के तहत् उपांतरण
1.	खरसिया	541/3	1.481 हेक्टेयर में से 1.3164 हेक्टेयर	प्रस्तावित वाणिज्यिक	आवासीय

2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवास योजना हेतु है।

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा खरसिया विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण खरसिया विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.